

भारतीय रिज़र्व बैंक
विनियमन विभाग
RESERVE BANK OF INDIA
Department of Regulation



पंजीकरण प्रमाण पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **N-13.02500**
No.

NBFC-AA
(Account Aggregator)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ओम्स फिनटेक अकाउंट अग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

OMS FINTECH ACCOUNT AGGREGATOR PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन मुंबई
मे अक्टूबर दो हजार चौबीस की पच्चीसवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Mumbai

this Twenty Fifth day of October Two Thousand Twenty Four



(एम राजेन सिंह /M. Rajen Singh)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक
General Manager / Deputy General Manager

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the directions, guidelines/instructions etc. issued by the Reserve Bank of India and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उस के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये: “कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक <u>25.10.2024</u> का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमा राशियों की अदायगी/देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।”	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under: “The company is having a valid Certificate of Registration dated <u>25.10.2024</u> issued by Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the Reserve Bank of India does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the company.”
5. आपकी कंपनी को जनता की जमा राशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमति नहीं है।	5. Your company is not allowed to accept/hold public deposits.
6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाये।	6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Reserve Bank of India.